12.06 hrs.

MR. SPEAKER : Call attention notice.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : You have allowed Members of Parliament to take their wives to the Cental Hall. Can Members of Parliament take other women with them to Centrbl Hall or not ?

MR. SPEAKER : I have allowed wives to come because they suspected the husbands.

AN HON. MEMBER : There will be family quarrels here.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : Are you here for the service of Members of their wives ?

MR. SPEAKER : I thought it would have a softening effect. Let there be more colour. There is nothing more about it.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Elections to the Bihar Legislative Council

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : अध्यक्ष, महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न-लिखित विषय की ओर विधि तथा समाज मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस बारे में वक्तव्य दें : --

> "बिहार विधान परिषद् के उत्सादन के लिए बिहार विधान सभा द्वारा पास किये गये संकल्प को ध्यान में रखते हुए परिषद् के लिए निर्वाचन करने का औचित्य" ।

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Under section 16 of the Representation of the People Act 1951, it is the duty of the Election Commission to recommend to the Governor of State which has a Legislative Council to issue notifications calling upon the members of the Legislative Assembly of the State and all the council constituencies concerned to elect members to fill up the vacancies which arise bienially. Accordingly, notifications to fill up the seats falling vacant in the Bihar Legislative Council were issued on the 10th March, 1970 and the 20th March, 1970.

The Legislative Assembly of Bihar passed a resolution and its meeting on the 3rd April, 1970 recommending the abolition of the Legislative Council. Later. on 11th April, 1970, the Legislative Council of Bihar passed a motion that the Council may not be abolished. (An Hon. Member : Have they any right to do so ?) Copies of the Resolutions of the Assembly and the Council have been communicated to the Secretary of the Lok Sabha and they have been placed in the Library.

The Government of Bihar has not made any representation to the Central Government to initiate legislation for abolition of the Legislative Council of Bihar. The Legislative Council of Bihar will stand abolished only when a law is passed by Parliament under article 169 of the Constitution.

So long as the abolition of the Legislative Council of Bihar has not taken place, it is the statutory duty of the Election Commission to conduct the elections to the Legislative Council.

श्री गुणानन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दरअसल हम लोग इनको शुरू से ही अच्छी तरह पहचानते हैं । पिछले 20-25 वर्षों से इस हकूमत को जानते आये हैं । उसकी कथनी और करनी में क्या सामंजस्य है यह हम जानते हैं । आज मंत्री महोदय इस बात की दुहाई देते हैं कि बिहार सरकार ने उसके लिए इनीशिएटिव नहीं लिया तो मैं कानून मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप के मुख्य मंत्री श्री दारोगा प्रसाद राय ने इस पर वोट किया था कि बिहार विधान परिषद् को खत्म कर दिया जाय बाकी अब अगर वह दो तरह की बात करते हों तो वह दूसरी बात है ।

इस सदन् के समक्ष में सचिव बिहार विधान सभा ने बिहार विधान परिषद के उन्मूलन के हेतु परिनियत प्रस्ताव भेजा है वह प्रस्ताव में रखना चाहता हूं । वह प्रस्ताव बिहार विधान सभा ने अपनी 3 अप्रैल 1970 की

बैठक में पास किया और 4 अप्रैल को वह प्रस्ताव वाली चिट्ठी सचिव बिहार विधान सभा द्वारा भेजी गयी है। वह उनकी चिट्ठी इस प्रकार है :

"महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि बिहार विधान-सभा ने अपनी दिनांक 3 अप्रैल, 1970 की बैठक में निम्नलिखित परिनियत प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 (1) के अन्तर्गत पारित किया हैं :—

"चूंकि संविधान के अनुच्छेद 160 (1) के अन्तर्गत इसकी व्यवस्था है कि अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए अथवा वैसी परिषद से रहित राज्य में वैसी परिषद के सृजन के लिए उपबन्ध कर सकेगी यदि राज्य की विधान सभा ने उस उद्देश्य का संकल्प सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित कर दिया हो, के अनुसार यह सभा विधान परिषद का उन्मूलन वांछनीय समझती है और इसलिए यह सभा संकल्प करती है कि बिहार विधान परिषद का उन्मूलन किया जाय।"

बिहार विधान-सभा के समस्त सदस्यों की संख्या 319 है। सदन द्वारा दिये गये मत का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) बिहार विधान-सभा के समस्त सदस्यों संख्या 319 (तीन सौ उन्नीस)

(2) सदस्यों की संख्या जो सदन में उपस्थित भी थे और जिन्होंने मतदान भी किया 238 (दो सौ अड़तिस)

(3) उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने "हां" के पक्ष में मत दिया-235 (दो सौ पैंतीस)

(4) उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने "ना" के पक्ष में मत दिया-3 (तीन)

इस प्रकार उपर्युक्त संकल्प सदन की समस्त संख्या के बहुमत से तथा सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के बहुमत से पारित हुआ।

आप का विश्वसनीय,
(इनायततुर रहमान) 4-4-70
सचिव, बिहार विधान सभा।"

अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय कानून मंत्री से सीधा सा सवाल करना चाहता हूँ कि अगर जैसा उन्होंने अभी बतलाया कि बिहार विधान परिषद् कहती है कि उसे खत्म न किया जाय तो क्या उत्तर प्रदेश की कौंसिल ने गवर्नर के बयान को जो बोगस और गलत बतलाया था और कहा था कि उसे वह मूल रूप में पास नहीं करेंगे तो क्या केन्द्रीय कानून मन्त्री ने यह स्वीकार कर लिया था कि चरण सिंह की सरकार की जो पालिसी है वह बोगस है और उत्तर प्रदेश कौंसिल के उस फैसले को क्या इन्होंने माना था ? बंगाल विधान सभा ने जब अपने वहां की कौंसिल के एब्रोलीशन का प्रस्ताव पास किया तो क्या विधान परिषद् की राय का सवाल उठाया गया था। बंगाल असेम्बली की सिफारिश पर बंगाल कौंसिल को खत्म कर दिया गया। इसी तरह पंजाब विधान सभा ने पंजाब विधान परिषद् को समाप्त करने का प्रस्ताव पास करके भेजा और वहां की भी विधान परिषद् समाप्त कर दी गई। आखिर यह बिहार की लेजिस्लेटिव कौंसिल को समाप्त करने में क्यों इस तरह से हिचका जा रहा है ? मैं जानता हूँ कि आखिर केन्द्रीय सरकार की नीयत क्या है ? सरकार इस तरह से बहानेबाजी क्यों कर रही है ?

बिहार की जनता बड़ी परेशानी में पड़ी हुई है। 26 तारीख को वहां कौंसिल के चुनाव हो रहे हैं और उस पर वहां बड़ा हंगामा है। लोगों का पैसा भी अधिक खर्च

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

हो रहा है और साथ ही परेशानी भी बढ़ रही है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या वह लोक-सभा के इसी वर्तमान सत्र के अन्दर बिहार कौंसिल को ऐबोलिश करने वाला प्रस्ताव लायेगी ?

दूसरे क्या सरकार ऐलैक्शन कमीशन को यह सुझाव दे सकती है कि उसके एलैक्शन को फिलहाल स्थगित रक्खें ? दरअसल इनको खतरा है चूंकि इनकी अपनी पार्टी में दो राय हैं। वहाँ तो एम एल एज ने प्रस्ताव पास किया और यहां आकर मिनिस्टरों से मिले और उनसे कहा कि अगर यह बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल का प्रस्ताव वहाँ से पास कर दिया जायेगा तो वहां पर दारोगा प्रसाद राय की सरकार गिर जायेगी। दरअसल इस डर से इनके मुख्य मंत्री ने उसे समाप्त करने वाला प्रस्ताव या पत्र सेंटर के पास नहीं भेजा है। अध्यक्ष महोदय, यह लोक तंत्र के लिए एक कलंक की बात है। मेरा सीधा प्रश्न इस सरकार से यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार की यहां ऐसी कोई परम्परा है कि किसी विधान सभा ने जब अपने वहां की कौंसिल को समाप्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया हो तो मुख्य मंत्री की ओर से उसके लिए कोई खत भी आना जरूरी है ? अगर ऐसी परम्परा हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह आपने अपने मुख्य मंत्री से पूछा है या नहीं ? मंत्री महोदय यहां पर सदन को सीधा सा जवाब दें कि वह इसी सत्र में उसके लिए विधेयक लाने वाले हैं या नहीं ?

SHRI GOVINDA MENON: Mr. Speaker, Sir, in my statement I only answered the qnestion regarding the justification for the conduct of the elections by the Chief Election Commissioner; that justification alone I detailed in my statement: that is to say, so long as the Legislative Council of Bihar is not abolished, he has to take action; it is his statutory duty.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): What about initiating legislation?

SHRI GOVINDA MENON: That was not in the question; otherwise I would have answered that.

श्री रवि राय (पुरी) : यह एक सर्वसम्मत प्रस्ताव है। आप क्यों इस पर सोते रहे? पंजाब में कर दिया, बंगाल में कर दिया तो फिर बिहार में वैसा करने में आप को क्यों हिचक हो रही है ?

SHRI GOVINDA MENON: The resolution passed by the Assembly recommending the abolution of the Council enables or empowers Parliament to abolish the Council by a simple parliamentary legislation, That is the purport of article 169. In this case, Government has not yet thought about whether to briug a Bill here or not.

श्री रवि राय : यह बिहार की लेजिस्लेटिव कौंसिल एबोलिश करने के लिए अभी तक आप सोते क्यों रहे हैं ?

SHRI GOVINDA MENON: If hon. members wait till I complete my sentence, this could have been avoided. There is a good deal of confusion in the whole situation. On 26th March, the members of the Bihar Assembly voted candidates to the Bihar Council. The very same members met a few days later on 3rd April and passed a resolution.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: What is wrong in it? It is a normal constitutional process.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : खुद आप कह रहे हैं कि स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट थी कि चुनाव हो फिर उसमें गलती क्या है ?

MR. SPEAKER: The question is, was the resolution passed by the Vidhan Sabha and, if so, was it sent here to Parliament? When such a resolution is passed by the Vidhan Sabha for abolution of the Council,

is the Council also competent to enquire into it ?

SHRI GOVINDA MENON : The Council is not competent to declare or demand that the Council shall not be abolished. But the members of the Council are entitled to express their opinion. Government must now look into this matter.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है ।

SHRI GOVINDA MENON : The resolution passed by the Assembly is not a mandate Parliament. It is to be considered by Parliament and we do not know what the decision of Parliament would be.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY ; Why don't you bring a Bill ? This can be passed without discussion as we have done in the other cases.

श्री मधु लिमये : आप इंट्रोड्यूस कीजिए आपको उसके लिए वोट्स मिल जायेंगे। यहां कोई विरोध नहीं करेगा ।

श्री रवि राय : पंजाब कौंसिल और बंगाल कौंसिल के एबौलिशन का बिल यहां पर पारित किया उसी तरह से इसमें भी करना चाहिए ।

MR. SPEAKER : Let him explain first.

SHRI GOVINDA MENON : After the resolution is passed by the Assembly under article 169, Government has to take a decision whether Government will bring a Bill. Other Members of Parliament also can take a decision.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : A non-official Bill take a longer time to be passed ; why are you shying from it ?

SHRI GOVINDA MENON : I am not shying.

श्री मधु लिमये : पंजाब का किया, बंगाल का किया फिर बिहार का क्यों नहीं कर रहे हैं ?

SHRI GOVINDA MENON : If hon. members would allow me to complete my statement, there will be no need for this kind of interruption. In the case of West Bengal and Punjab, after the resolution was passed, the Governments there represented to the Central Government.

SHRI MADHU LIMAYE : Irrelevant. उसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री रवि राय : कोई कानूनी जरूरत है यह आप समझाइये ।

SHRI GOVINDA MENON : They represented to the Central Government that steps may be taken to abolish the Legislative Council. That is necessary because when we are dealing with the affairs of a State, when we are abolishing one of the institutions which has been functioning in the State for the last twenty years, the opinion of the State Government has also to be looked into. Therefore, they have to come to a decision on the question whether to move a Bill or not. It is open to others to bring forward a Bill. I have not said that government have taken a decision in this matter. Government will take a decision.

SHRI RABI RAY : You are beating about the bush.

श्री गुणानन्द ठाकुर : माननीय मंत्री जी से मेरा कहना यह है कि जिस दिन विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया उसके अगली सुबह हमारे दल के श्री मधु लिमये ने उन्हें पत्र लिखा, और हर दल का समर्थन उन्हें मिलेगा । कम्यूनिस्ट पार्टी के श्री राजकुमार दुबे ने प्रस्ताव पेश किया था, जन संघ वालों ने वोट किया और कांग्रेस वालों ने भी वोट किया । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्यों वह उसको मेटना चाहते हैं ?

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Sir, on a point of order. You have correctly intervened and asked the Law Minister to give the relevant information. The simple point before you is this. After the Legislative Assembly passes a resolution it becomes the property of Parliament and when the Parlia-

[Shri S. Kundu]

ment passes the Bill the Council is abolished. The Government have no right to withhold it. The constitutional position is very clear. Once a resolution is passed by the Legislative Assembly, it comes before Parliament. Parliament can consider it and pass it into law. In between, the government come in. The only job of the government is to place it before Parliament. Government cannot sit on it, judge it or say that they are thinking of introducing the Bill. Therefore, Sir, you must order the Government to bring the Bill before the House without losing any time, because it is the property of the Parliament. It is a point on which I want your clear ruling.

MR. SPEAKER : I have already given my clear ruling.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : The hon. Minister has just now said in answer to a question that though the Assembly has passed the Resolution Government have not made up their mind. Is the Government not a party to that resolution ? Government was a party to the passing of that resolution. The Chief Minister got that resolution passed. If the ruling party had not supported that resolution, it would not have been passed. Therefore, how is the hon. Minister in order when he says that government have not made up their mind ? Have the Government any choice left in the matter ? I think the Bihar Government have no choice left in the matter. The Government was a party to that resolution. So, the hon. Minister cannot reply that government have not made up their mind.

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । विधान सभा प्रस्ताव पारित कर चुकी है । अब श्री मेनन कह रहे हैं कि बिहार सरकार को उनको लिखना चाहिए । मैं जानना चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार यह कहां तक जरूरी है क्योंकि विधान सभा के सेक्रेट्री की चिट्ठी पालियामेंट के सेक्रेट्री को आ चुकी है ? क्या यह जरूरी है कि बिहार सरकार मंत्री महोदय को लिखे तब वह उसके बाद यहां पर बिल लायें ? मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि बिहार सरकार लिखे उसको तभी वह यहां बिल लायें ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से आग्रह यह है कि मंत्री जी ने अपने जवाब के जरिए जो बिहार के मुख्य मंत्री को बगावत करने के लिए आगाह किया है विधान सभा के खिलाफ, यह संविधान के खिलाफ है । आप इसको प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज करने का आदेश दीजिए । अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मुख्य मंत्री को बगावत करने का मौका दे रहे हैं । विधान सभा के फैसले के बाद मुख्य मंत्री की राय का कोई अस्तित्व नहीं है । आप इसको एक्सपंज करने का आर्डर दीजिए ।

12.45 hrs.

MR. SPEAKER : I hope, the Law Minister is already aware of what you have asked. There is no question of my ruling on this. You have put forward your view point before the Law Minister and it is up to the Law Minister to explain ; there is no question of my ruling on it. As far as I am concerned, as I have already asked him indicating my doubt and he was good enough to reply to that. Whether we are satisfied or not is another matter.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : You will also agree that there is no statutory obligation that that Government will have to write to the Government at the Centre to initiate a Bill here. That is not at all necessary.

MR. SPEAKER : There are two or three points which need clarification. When the Resolution comes to this House, we are seized of it. Is it very compulsory for the Government or not to introduce a Bill ? Secondly, I do not think there was any need for sending the Resolution of the Council along with this. Thirdly, if the Government proposes to and are bound to bring forward a Bill, unless this House decides on the issue, what about the propriety of holding the election involving unnecessary expenditure ?

SHRI GOVINDA MENON : It is not obligatory on the part of Government to bring forward a Bill under article 169. Government may or may not bring it for-

ward. I said that the Government had not considered the question.

Regarding the Council Resolution, it was communicated to the Secretariat of the Lok Sabha and you decided that a copy of that should be placed in the Library.

MR. SPEAKER : Because it came here.

SHRI GOVINDA MENON : Because it is there, I too referred to it. It does not follow that it has any value that way. I said that there was that opinion. Here is an Assembly which on the 26th March votes members to the Legislative Council (*Shri Madhu Limaye* : That is a statutory obligation) and on the 3rd April (*Interruption*)

SHRI RABI RAY : He is deliberately confusing the issue...(*Interruption.*)

श्री भोगेन्द्र झा : यह विधान सभा के खिलाफ कह रहे हैं कि उसने क्यों इसको पास किया।...

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Sir, I rise on a point of order. You have put the case very succinctly. The hon. Minister is trying to beat about the bush. Can this House or the Law Minister do or say anything which goes against the declared decision of the State Assembly there ?

MR. SPEAKER : I do not think the decision of the Assembly is binding. My only question to the Law Minister was whether, when we are seized of that Resolution, it is compulsory or obligatory on the part of Government to bring forward a Bill or not.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : You issue a direction.

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee, thank you very much for enlarging my powers. But I cannot have them.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Sir, repeatedly, he is raising the question that the Assembly elected the Members of the Council on the 16th March. I do not know what that has to do with this. The Election Commission had fixed the date. It was a statutory obligation that every State Assembly had to discharge. He is trying to confuse the issue.

SHRI GOVINDA MENON : I am only submitting that this resolution only enables Parliament to abolish the Legislative Council by an ordinary legal process. That power is now given to the Parliament. Therefore, the Government can bring a Bill ; any private Member can bring a Bill...

SHRI RABI RAY : No private Member...(*Interruption*).

MR. SPEAKER : I think, we should not go into legal complications.

श्री मधु लिमये : इन्होंने जो अभी कहा है उसके ऊपर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । ये कह रहे हैं कि पार्लियामैंट को अधिकार मिल जाता है और निजी सदस्य भी बिल ला सकते हैं । लेकिन निजी सदस्यों को बिल लाने में कितनी तकलीफ होती है, यह इनको मालूम नहीं है । बैलट के बिना वह नहीं आ सकता है । आप कभी भी ला सकते हैं । आप पर यह अबलिगेटरी है और आप लायें । फिर सदन को यह अधिकार है कि वह पास करे या न करे ।

SHRI MORARJI DESAI : Sir, it is true that in the Constitution the word used is "may", that Parliament "may" pass such a legislation if the Legislature of that State decides that there should be no Council. Is there a case in which the Parliament has refused to pass or has exercised this option ? In the case of Punjab, the moment they asked for it, it was automatically done ; in the case of West Bengal, it was automatically done and in the case of Bombay, long ago, when we had asked for it, they did it for Gujarat and because Maharashtra changed it, it was not done. Why are they now coming forward to say that the Government is thinking about it. The Government is committed. How can they say that the Government is not committed ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पश्चिमी बंगाल और पंजाब में सब से पहले विधान

[श्री रामावतार शास्त्री]

परिषदों का उन्मूलन किया । उसके बाद तीसरा नम्बर बिहार का आया । इसलिए आया कि बिहार की जनता की यह भावना है और खास तौर से उस जनता की जो जनतंत्र में विश्वास करती है, समाजवाद तथा प्रगतिशील नीतियों में विश्वास करती है, यह भावना कि विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाये । उसी भावना का आदर करते हुए बिहार विधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया है ।

अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः आप जानते ही होंगे कि इस प्रस्ताव को कम्युनिस्ट पार्टी विधायक दल के मुख्य सचेतक श्री राज कुमार पुरवे ने पेश किया था और इसलिए इसको पेश किया कि वहां जो सरकार अभी चल रही है उसने एक 35 सूत्री कार्यक्रम बनाया हैं जिस में एक सवाल यह भी है । उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को विधान सभा में पेश किया गया था । यह खुशी की बात है कि 235 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और केवल तीन ने विरोध किया और इन में दो तो स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे और एक लोकतांत्रिक कांग्रेस के । इन तीन के अलावा 235 ने उसका समर्थन किया । इस वास्ते समर्थन किया कि विधान सभा ने समझा कि विधान परिषद् को कायम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और आठ लाख रुपया हर साल बरबाद करने की कोई जरूरत नहीं है । उसने यह भी समझा कि विधान परिषद् के रहने से विधान सभा के कार्यों में रुकावट पैदा होती है । इस में निठल्ले लोगों, चुनावों में हारे कुछ लोगों को ही जगह दी जाती है , उनको ही भेजा जाता है । इन सब बातों को ध्यान में रख कर विधान सभा ने इस प्रस्ताव को पारित किया और उसकी एक प्रति हमारे पास आ चुकी है और सरकार के पास भी आ चुकी है । इसकी प्रति के सरकार के पांस आने के बाद से विधान सभा परिषद् में एक प्रस्ताव कांग्रेस के लोगों ने जान बूझ कर पास करवाया रूकावट डालने के लिए । इतना ही नहीं, मुझे यह भी खबर मिली है कि एक सौ से ज्यादा विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्यों ने एक रिप्रिजेंटेशन सरकार के पास भेजा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि यहां के एम० एल० एज़ और एम० एल० सीज़ ने भारत सरकार के पास रिप्रिजेंटेशन भेजा है और अगर यह सही है तो उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और उनका किन-किन पार्टियों से सम्बन्ध है, किन दलों के वे सदस्य हैं ?

यह प्रस्ताव संविधान सम्मत है जिन का जिक्र श्री गुणानन्द ठाकुर पहले कर चुके हैं । यह बहुमत से भी पास हुआ है और दो तिहाई सदस्यों का बहुमत भी जो उपस्थित थे, इसको प्राप्त हुआ । यह विधान समस्त प्रस्ताव है । लेकिन यह कहा गया है कि वहां की सरकार ने कोई चिट्ठी नहीं भेजी है कि विधान परिषद् का उन्मूलन होना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां की सरकार ने आपके पास इस तरह का कोई पत्र भेजा है, रिप्रिजेंटेशन भेजा है कि इसका उन्मूलन नहीं होना चाहिये और अगर भेजा है तो क्या आप मेहरबानी करके उसे सदन के सामने रखेंगे ?

अभी हाल में वहां से कांग्रेस विधान परिषद् के सदस्य श्री देव शरण सिंह एम० एल० सी० के नेतृत्व में बड़ी तादाद में लोग यहां आये थे, ऐसा सुना गया है । सुना गया है कि कोई प्रतिनिधि मंडल गृह-मंत्री से भी मिला है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई प्रतिनिधि मंडल गृह-मंत्री से मिला है और अगर मिला है तो क्या बातें दोनों में हुई हैं और उनकी बातें सुनने के बाद सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सरकार का रिएकशन क्या है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के दबाव में आ कर सरकार कोई लचर दलील दे और तिकड़म का सहारा ले कि विधान परिषद् को

कायम रखा जाना चाहिये ? और ऐसी बात है ता सचमुच में हमारे देश के जनतंत्रीय विकास के लिए, समाजवाद की स्थापना के लिए यह एक खतरे की सूचक है। कुछ लोगों को पेंशन देने के लिए आप विधान सभा द्वारा पास प्रस्ताव को दरकिनार रखें, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कोई लचर दलील दे कर कहीं आप विधान परिषद के लोगों को रोजगार तो देना नहीं चाहते हैं ?

श्री हरदयाल देवगुण : वहां की सरकार को क्यों नहीं कहते कि चिट्ठी भेज दे ?

13 hrs.

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair*]

SHRI GOVINDA MENON : I am not aware whether any delegation visited the Home Minister or anyone else, requesting the ignoring of the resolution passed by the Assblyem. What I have been saying is only this. After that Resolution is passed, if I should bring a Bill, the Central Government should take a decision. The Central Government has not yet taken a decision. That is the position. (*Interruption*) I have not stated that initiation of the Bill will not take place. I came to know about this only after the Calling Attention notice came to me. The matter is under the consideration of the Government.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। क्या बिहार सरकार ने उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कोई खत लिखा है ? मेरा सवाल बिल्कुल स्पेसिफ़िक है। मंत्री महोदय इस का स्पष्ट उत्तर दें।

SHRI GOVINDA MENON : I said, to the best of my knowledge, no such letter or representation has come.

श्री क० मि० मधुकर (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की तमाम प्रगतिशील शक्तियों का यह सर्वसम्मत विचार है कि राज्यों में विधान परिषदों और केन्द्र में राज्य सभा को समाप्त कर दिया जाये। इस संदर्भ में बिहार सरकार के कार्यक्रम में यह बात भीं शामिल है कि वहां की विधान परिषद् को हटा दिया जाये। बिहार विधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य, श्री राजकुमार पुर्वे, ने, जो हमारे दल के मुख्य सचेतक हैं, यह प्रस्ताव रखा था और विधान सभा के तीन सदस्यों को छोड़ कर बाकी सब के समर्थन से वह पास हुआ था। इस से पता चलता है कि बिहार विधान सभा इस विषय में प्राय: एकमत है। इस बीच में क्या बिहार सरकार के लिए यह खतरा पैदा हो गया है कि कौंसिल को समाप्त करने से वह टूट जायेगी और क्या वह इस कारण केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल रही है, जिस की वजह से केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है ?

मंत्री महोदय ने अभी अपने जवाब में कहा है कि बिहार सरकार की ओर से कोई रिप्रेजेन्टेशन नहीं आया है। क्या केन्द्रीय सरकार भी उसी कनफ़्यूजन की अवस्था में पड़ गई है, जिस में बिहार सरकार पड़ी हुई है ? क्या कोई ऐसी सम्भावना पैदा हो गई है कि अगर इस प्रस्ताव को पास कर दिया जायेगा, तो बिहार सरकार टूट जायेगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार किस वजह से, किन कानूनी दिक्कतों और संविधानिक अड़चनों के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर के बिहार की विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है, जब कि पंजाब और पश्चिमी बंगाल की विधान सभाओं द्वारा वहां की विधान परिषदों को समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये जाने पर बहुत जल्दी यहां पर बिल पास कर के उन को कार्यान्वित कर दिया गया था। क्या सरकार बिहार विधान सभा के प्रस्ताव के मुताबिक यहां पर बिल लाने जा रही है ; यदि हां, तो कब तक ?

SHRI GOVINDA MENON : I did not say that the Central Government is not bringing a Bill . I only said...

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : When are you bringing ?

SHRI GOVINDA MENON : This happened on 3rd April. Government have not yet considered the question.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura) : He has not replied to the question put by the hon. Member.

श्री क० मि० मधुकर : बिहार सरकार ने जो कार्यक्रम बनाया है, विधान परिषद् को समाप्त करना भी उस का एक अंग है। क्या यह समझा जाये कि बिहार सरकार उस से पीछे हट रही है और अब वह विधान परिषद् को हटाने के लिए तैयार नहीं है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your question is, when the Government is going to introduce the Bill. His reply is, Government has not had the opportunity to consider this.

SHRI J. M. BISWAS : My question is, why Government has not yet given consideration to it. What is happening behind the scenes ?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Why should it take such a long time ? Today is the 24th of April and already 20 days have passed.

श्री बि० प्र० मंडल (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, बिहार विधान सभा ने भारी बहुमत से यह प्रस्ताव पास किया है कि वहां की कौंसिल को समाप्त कर दिया जाये। उस प्रस्ताव के पक्ष में 235 मेम्बर थे और विरोध में केवल 3 मेम्बर थे। जब वैस्ट बंगाल और पंजाब की एसेम्बलीज़ ने उन राज्यों की कौंसिल्ज़ को समाप्त करने के विषय में प्रस्ताव पास किये, तो पार्लियामेंट में उन को कार्यान्वित करने के लिए बिल पास कर दिये गये।

अभी ला मिनिस्टर ने कहा है कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ़ से इस बारे में कोई चिट्ठी नहीं आई है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 169 में स्टेट गवर्नमेंट का कोई ज़िक्र नही है। पार्लियामेंट का काम हैल्थी कनवेन्शन्ज़ के आधार पर चलता है। यह कनवेन्शन स्थापित हो गया है कि अगर किसी राज्य की विधान सभा वहां की कौंसिल को समाप्त करने के लिए भारी बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया जाता है और सरकार उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए बिल लाती है। लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि ला मिनिस्टर साहब पेटी पार्टी इन्ट्रेस्ट्स के लिए इस हैल्दी कन्वेन्शन को खराब करना चाहते हैं और एक बैड प्रिसिडेंट करना चाहते हैं।

आज से कुछ दिन पहले हम सैंट्रल हाल में ला मिनिस्टर साहब से मिले थे और उन को कहा था कि जब बिहार विधान सभा ने भारी बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि वहां की कौंसिल को समाप्त कर दिया जाये, तो फिर कोंसिल के चुनाव क्यों हो रहे हैं। वहां पर लोकल बाडीज़ कांस्टीट्युएन्सी, ग्रैजुएट्स कांस्टीट्युएन्सी और टीचर्ज़ कांस्टीट्युएन्सी के चुनाव कराये जा रहे हैं। इस के अलावा माइनारिटी को मेजारिटी में कनवर्ट करने के लिए एक-एक नोटिफ़ाइड एरिया कमेटी में सरकार चालीस चालीस मेम्बरों को नामज़द कर रही है। ला मिनिस्टर ने हमें कहा था कि वह इलैक्शन कमीशन से बात करेंगे। लेकिन मालूम होता है कि बिहार से उन की पार्टी के लोगों के यहां आने के बाद उन के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हो गया है, जिस का संकेत उन के जवाब से मिलता है। यह प्रजातंत्र के लिए एक सर्वथा खराब और शर्मनाक बात है। उन को बिहार की कौंसिल को समाप्त करने के लिए बिल लाने में कुछ भी डीले नहीं करना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार में कोई एक दल की सरकार नहीं है—कोई कांग्रेस

की सरकार नहीं हैं । वहां छ: पार्टियां मिली हुई हैं । शोषित दल भी एक ऐसी पार्टी है, जो वहां की सरकार को सपोर्ट कर रही है । इस लिए केन्द्रीय सरकार को सभी पार्टियों के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ के सेंटीमेंट्स को देखना है । अगर वह इस बारे में ढील करेगी, बहानेबाज़ी करेगी, तो सभी पार्टियों के लिए यह लाज़िमी हो जायेगा कि वे बिहार में भी अपनी सपोर्ट को विदड्रा कर लें और यहां भी सरकार के विरुद्ध नो-कान्फ़िडेंस मोशन लायें ।

इस स्थिति में यह आवश्यक है कि देश में जो डेमोक्रटिक कनवेन्शन स्थापित हुई है, उस के मुताबिक बिना किसी बहानेबाज़ी के बिहार की कौंसिल को समाप्त करने के लिए सरकार अविलम्ब एक बिल लाये । जैसा कि ला मिनिस्टर साहब ने हम से सेंट्रल हाल में कहा था, वह इलैक्शन कमीशन से बात करके बिहार कौंसिल के चुनावों को बन्द कर दें जिन में हर किस्म की बेईमानी हो रही है ।

SHRI GOVINDA MENON : Since the hon. Member referred to precedents and delay etc. I must give you this information. The proposal came from West Bengal for abolition of the Upper House on 24-3-1969. The Bill abolishing the Upper House in West Bengal was passed by this House on 16-5-1969, that is, two months later and in the Rajya Sabha it was passed on 22-7-1969.

Regarding Punjab, the Resolution of the Punjab Assembly was received by us on 15-5-1969. The Lok Sabha passed the Bill on 19-11-1969 and the Rajya Sabha passed it on 24-12-1969.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : That was because we had adjourned.

SHRI GOVINDA MENON : When the matter was placed in the Library of the Lok Sabha only on the 20th April, I am being asked questions as to why the Bill is not being brought. These things require time. A Bill cannot be introduced unless the matter is decided upon by the Cabinet. That is the rule regarding the Bill. I came to know about it only a few days back. The hon. Members here know what my views on Upper House are as I had said that on two occasions earlier in the Lok Sabha.

The position today is that the Resolution has been passed by the Bihar Assembly. It is under the consideration of Government.

SHRI B. P. MANDAL : He had told me he would consult the Election Commission regarding with holding the elections to the Council. What is the justification for carrying on with these elections when in a day or two or week or more he is going to bring forward a Bill to abolish the Council ? So many unfair means are being adopted in that State.

SHRI GOVINDA MENON : Even in the written answer, I have given the reason that so long as the abolition of the Bihar Legislative Council has not taken place, it is the statutory duty of the Election Commission to conduct the elections.

श्री मधु लिमये : पोस्टपोन किया जा सकता है । आप लोक-सभा के चुनाव भी कई दफा पोस्टपोन करते हैं । किए हैं या नहीं किए हैं ?

SHRI GOVINDA MENON : That is bye-election. This is biennial election to the Council which is statutory obligation under section 16 of the Representation of the People Act.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Is he bringing in a Bill this Session ?

SHRI GOVINDA MENON : In the Bihar Council, there will be members who have been there for four years, two years and a few months. All others will go out. Without consulting my Cabinet colleagues, I cannot say when I am bringing in this Bill or whether I am bringing it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it permissible for Government to direct the Election Commissioner to hold elections or not hold them ?

SHRI GOVINDA MENON : No. It is

[Shri Govinda Menon]

the statutory duty of the Commission to conduct the elections.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 222 के अधीन मैं निम्नलिखित प्रस्ताव संसद सदस्यों एवं संसद् के विशेषाधिकार-हनन के अभियोग सम्बन्धी पटना के हिन्दी 'आर्यावर्त्त' के विरुद्ध पेश करता हूं :

दिनांक 19-4-1970 के अपने सम्पादकीय में दैनिक 'आर्यावर्त्त' ने लोक-सभा में......

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : This could be taken up after the lunch hour. Are you creating a precedent every day that we will not adjourn exactly at the lunch hour but will carry on for some more time ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : So long the practice has been to dispose of Call attention, Papers to be laid and other items, before lunch. Sometimes we spill over because questions drag on. But if it is the pleasure of the House, we will adjourn now and take it up after lunch.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We adiourn for lunch now.

13.15 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[**Mr. Deputy-Speaker** *in the Chair*]

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Mr. Deputy-Speaker, I will not take more than one minute. There is disturbing news in some papers today that the Central Government is bringing in the PD Act for West Bengal through backdoor. That Act had been turned down on the national front and here in this House also. For this purpose the Central Intelligence have sent a team of CID officers who are planting agents provocateur in Calcutta and thus an artificial atmosphere is created. Government must take this House into confidence and make a statement clarifying the position, and say whether they want to introduce the PD Act through the backdoor, hoodwinking the people. The PD Act had been turned down on the national front and in this forum also.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : The Assembly has been suspended ; it is not dissolved. So, they cannot bring the PD Act through the backdoor.

14.20 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE EDITOR, "*ARYAVRATA*"

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, एतद्वारा मैं नियम 222 के अधीन पटना के हिन्दी दैनिक 'आर्यावर्त' के विरुद्ध संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हनन का अभियोग ला रहा हूँ। दिनांक 19-4-70 के अपने सम्पादकीय में दैनिक आर्यावर्त ने लोक सभा में संस्कृत ग्रन्थों की बिक्री के प्रश्न पर कम्युनिस्ट सदस्यों की देश भक्ति तथा उनकी ईमानदारी पर गहरा आघात किया है। उसने यह अभियोग लगाया है कि कम्यूनिस्ट संसद सदस्य किसी अन्य देश को अपना "पितृदेश" मानते हैं तथा नहीं चाहते हैं कि भारत में ऐसी चीजें सुरक्षित रहें जिन से भारत की प्राचीन विचार-धारा, परम्परायें, संस्कृति, सभ्यता, आदि की रक्षा हो सकती है। उस सम्पादक के सम्पादकीय का वह अंश साथ में संलग्न है, परन्तु उस सम्पादकीय के एक हिस्से को मैं सदन के सामने पढ़ रहा हूं—

"लोक सभा में जनसंघी सदस्य श्री राम गोपाल शालवाले का यह रहस्योद्घाटन कम्यु-निस्ट संसद् सदस्यों को बहुत बुरा लगा कि शेख अब्दुला जब जम्मू-काश्मीर के प्रधान मंत्री थे उस समय उन्होंने वहां के कितने संस्कृत